Pandit Sundarlal Sharma (Open) University Chhattisgarh

Accredited A+ by NAAC, Bengaluru

Koni- Birkona Road, PO- Birkona, Dist- Bilaspur- 495009

Name of the Programme: MASTER OF COMPUTER SCIENCE				
Total No. of Full Time Dedicated Faculty: 03				
S. No.	**Name of Faculty**	**Designation**	**Highest Qualification**	**Email & Contact no.**
1.	Mr. ReshamLal Pradhan	Assistant Professor	NET, M.Tech.	reshamlalpradhan6602@gmail.com 7024383191
2.	Anita Tandon	Assistant Professor	Master of Electronics, SET	tandon.in@gmail.com 7566434679
3.	Shishir Kumar Sharma	Assistant Professor	Ph.D., NET	shishirsharma51@gmail.com 9993605577

Regional Director

Regional Director
Pandit Sundarlal Sharma (Open) University
Chhattisgarh, Bilaspur

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर
कोनी बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.)
दूरभाष : (07752) 643644 फैक्स 424329, 213073
Web site : www.pssou.ac.in, E-mail – registrar@pssou.ac.in

85

क्रं. 2322 /प्रशा./स्था./16, बिलासपुर, दिनांक 11/02/2016

//आदेश//

पं सुंदरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ के परिनियम क्रमांक 09 की कंडिका 2 के प्रावधानों के तहत् बनाई गई चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर **श्री रेशम लाल प्रधान** पिता श्री उसतराम प्रधान .को अनारक्षित वर्ग में विषय **कम्प्यूटर सांइस** सहायक प्राध्यापक पद पर वेतनमान रू. 15,600–39,100 +6,000 ग्रेड पे में पदभार ग्रहण की तिथि से अस्थायी रूप से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त किया जाता है।

2/ यह नियुक्ति निम्नांकित शर्तो के अधीन होगी –

(1) कार्यभार ग्रहण करने की सूचना के साथ, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बिलासपुर (छ.ग.) का चिकित्सा प्रमाण–पत्र करना जमा करना आवश्यक होगा।

(2) कार्यभार ग्रहण करते समय अभ्यर्थी रू. 50/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर यह शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा कि नियुक्ति के दौरान उसके द्वारा प्रस्तुत समस्त शैक्षणिक अंकसूची एवं प्रमाण–पत्र सहित उपलब्ध कराई गई जानकारी सहीं है। यदि कोई भी अभिलेख असत्य पाया गया तो नियुक्ति रद्द की जा जायेगी।

(3) यह नियुक्ति किसी भी पक्ष से दो माह का नोटिस अथवा एवज में दो माह का वेतन दिया जाकर समाप्त किया जा सकेगा।

(4) नियुक्त कर्मचारी के द्वारा दो माह का नोटिस दिये बिना या उसके एवज में दो माह का वेतन भत्ता का भुगतान किये बिना सेवा छोड़ने पर शर्त क्रं. 03 के अंतर्गत देय रकम उस कर्मचारी से वसूली योग्य होगी।

(5) सेवारत् कर्मचारियों को नियोक्ता द्वारा जारी "कार्यमुक्ति प्रमाण पत्र" प्रस्तुत करना होगा।

(6) नियुक्ति आदेश प्रसारण की तिथि से 15 दिनों के अंदर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य है।

क्रमशः – 02

(7) शैक्षणिक कर्मचारियों की सेवाएं विश्वविद्यालय परिनियम क्रमांक 13 एवं परिनियम क्रमांक 09 में निर्धारित शर्तो के अनुसार नियंत्रित होगी।

(8) यह नियुक्ति स्थानांतरणीय है, अर्थात प्रशासनिक कारणों/आवश्यकता को दखते हुये कर्मचारी का स्थानांतरण विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केन्द्रों में भी किया जा सकता है।

(9) प्रमाणित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातिंयो, अनूसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 के उपबंधों का अधिनियम के उपबंधो के प्रकाश में सरकार द्वारा जारी आदेशों का अनुपालन किया गया है।

आदेशानुसार

(डॉ. राजकुमार सचदेव)
कुलसचिव
पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़, बिलासपुर

पृ.क्रं. 2323 /प्रशा./स्था./16, बिलासपुर, दिनांक 11/02/2016

प्रतिलिपि –

1. निज सचिव, कुलपति को माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ।
3. वित्ताधिकारी, पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. श्री रेशम लाल प्रधान, ग्राम–नादीगांव, पोस्ट आफिस नादीगांव, जिला रायगढ़– 46554 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. व्यक्तिगत नस्ती हेतु।

कुलसचिव

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

(छ.ग. शासन के अधिनियम क्र. 26/2004 द्वारा स्थापित)

कोनी बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.) फोन 07752-240712, 240752

website- pssou.ac.in, E-mail- registrar@pssou.ac.in

क्र. 11 /G.F./C.S./2023 बिलासपुर, दिनांक : 05/10/2023

प्रति,

Anita Tandan

विषय : Computer Science

विषय :- C.A.M. के तहत रोलिंग विज्ञापन प्रणाली के अंतर्गत पूर्णकालिक सहायक प्राध्यापक (अतिथि शिक्षक) के रूप में कार्य की अनुमति।

उपरोक्त विषयांतर्गत आपके नाम के सम्मुख उल्लेखित विषय में पूर्णकालिक सहायक प्राध्यापक (अतिथि शिक्षक) के रूप में निम्नलिखित शर्तों पर कार्य की अनुमति प्रदान की जाती है।

1. विश्वविद्यालय में शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य हेतु छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग रायपुर द्वारा अतिथि शिक्षक के लिए निर्धारित मानदेय प्रदान किया जायेगा।
2. आपको इस कार्य हेतु स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर में शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य समाप्त होने तक या अधिकतम 177 दिवस के लिये रखा जायेगा।
3. आप किसी भी हैसियत से विश्वविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जायेंगे एवं लोक सेवक की विधिविहित परिभाषा के अंतर्गत आपको "लोकसेवक" नही माना जायेगा।
4. आप पूरी तरह से विभाग के विभागाध्यक्ष के निर्देशन मे कार्य करेंगे तथा निर्देशानुसार ऑनलाईन/ऑफलाईन शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य करना होगा।
5. कार्य प्रारंभ करने के पूर्व आप इस बात का शपथ पत्र देंगे कि आपके विरूद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है, आप किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं हैं एवं आप एक से अधिक संस्था में अध्यापन कार्य नही कर रहे हैं।
6. आप किसी भी माध्यम से अनुभव प्रमाण पत्र एवं मानदेय प्रमाण पत्र की मांग नहीं करेंगे।
7. कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर बिना पूर्व सूचना के इस अनुमति को निरस्त किया जा सकता है।
8. यह आदेश यू.जी.सी. डेब से पाठ्यक्रम हेतु अनुमति प्रदान किये जाने के बाद पाठ्यक्रम प्रारंभ होने की तिथि से अधिकतम 177 दिवस तक प्रभावशील रहेगा अन्यथा की स्थिति मे स्वतः निरस्त माना जाएगा।

आदेशानुसार

(हस्ताक्षर)

विभाग प्रमुख

पृ. क्र. 12 /G.F./C.S./2023 बिलासपुर, दिनांक : 05/10/2023

प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव कुलपति को माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
2. निज सहायक कुलसचिव को कुलसचिव महोदया के सूचनार्थ।
3. वित्ताधिकारी को सूचनार्थ।
4. प्रमुख स्थापना/प्रशासन को सूचनार्थ।
5. कार्यालय प्रति।

(हस्ताक्षर)

विभाग प्रमुख

कम्प्यूटर विज्ञान विभाग

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर
(छ.ग. शासन के अधिनियम क्र. 26/2004 द्वारा स्थापित)
कोनी बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.) फोन 07752-240712, 240752
website- pssou.ac.in, E-mail- registrar@pssou.ac.in

क्र 13 /G.F./C.S./2023 — बिलासपुर, दिनांक : 05/10/2023

प्रति,

Dr. Shishir Kumar Sharma

विषय : Computer Science

विषय :- C.A.M. के तहत रोलिंग विज्ञापन प्रणाली के अंतर्गत पूर्णकालिक सहायक प्राध्यापक (अतिथि शिक्षक) के रूप मे कार्य की अनुमति।

उपरोक्त विषयांतर्गत आपके नाम के सम्मुख उल्लेखित विषय मे पूर्णकालिक सहायक प्राध्यापक (अतिथि शिक्षक) के रूप में निम्नलिखित शर्तो पर कार्य की अनुमति प्रदान की जाती है।

1. विश्वविद्यालय में शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य हेतु छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग रायपुर द्वारा अतिथि शिक्षक के लिए निर्धारित मानदेय प्रदान किया जायेगा।
2. आपको इस कार्य हेतु स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर मे शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य समाप्त होने तक या अधिकतम 177 दिवस के लिये रखा जायेगा।
3. आप किसी भी हैसियत से विश्वविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जायेंगे एवं लोक सेवक की विधिविहित परिभाषा के अंतर्गत आपको "लोकसेवक" नहीं माना जायेगा।
4. आप पूरी तरह से विभाग के विभागाध्यक्ष के निर्देशन मे कार्य करेंगे तथा निर्देशानुसार ऑनलाईन/ऑफलाईन शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य करना होगा।
5. कार्य प्रारंभ करने के पूर्व आप इस बात का शपथ पत्र देंगे कि आपके विरूद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नही है, आप किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं हैं एवं आप एक से अधिक संस्था में अध्यापन कार्य नहीं कर रहे हैं।
6. आप किसी भी माध्यम से अनुभव प्रमाण पत्र एवं मानदेय प्रमाण पत्र की मांग नहीं करेंगे।
7. कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर बिना पूर्व सूचना के इस अनुमति को निरस्त किया जा सकता है।
8. यह आदेश यू.जी.सी.-डेब से पाठ्यक्रम हेतु अनुमति प्रदान किये जाने के बाद पाठ्यक्रम प्रारंभ होने की तिथि से अधिकतम 177 दिवस तक प्रभावशील रहेगा अन्यथा की स्थिति मे स्वतः निरस्त माना जाएगा।

आदेशानुसार

(हस्ताक्षर)

विभाग प्रमुख

पृ.क्र. 14 /G.F./C.S./2023 — बिलासपुर, दिनांक 05/10/2023

प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव कुलपति को माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
2. निज सहायक कुलसचिव को कुलसचिव महोदया के सूचनार्थ।
3. वित्ताधिकारी को सूचनार्थ।
4. प्रमुख स्थापना/प्रशासन को सूचनार्थ।
5. कार्यालय प्रति।

(हस्ताक्षर)

विभाग प्रमुख

कम्प्यूटर विज्ञान विभाग

प्रति,

कुलसचिव,
पं. सुंदरलाल शर्मा (मुक्त) वि.वि.
छत्तीसगढ़, बिलासपुर

विषयः– सहायक प्राध्यापक कम्प्यूटर सांइस के पद पर पदभार ग्रहण करने विषयक।
संदर्भः– वि.वि. का पत्र क्रमांक 2323/प्रशा./स्था./16 बिलासपुर, दिनांक 11/02/2016

उपरोक्त पत्र के संदर्भ में मै रेशमलाल प्रधान आज दिनांक 15/02/2016 के पूर्वान्ह में सहायक प्राध्यापक (कम्प्यूटर सांइस) के पद पर कार्यभार ग्रहण कर रहा हूँ।

Before noon

15.2.16

भवदीय

15.02.16

रेशमलाल प्रधान
ग्राम – नदीगांव, पो.–नदीगांव
रायगढ़ (छ.ग)